

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

## कार्यसूची

### चौदहवां सत्र

शनिवार, 26 फरवरी, 2022/7 फाल्गुन, 1943(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

#### 1. प्रश्नोत्तर:

##### (1) तारांकित:

- (i) स्थगित  
(ii) दिन के लिए
- } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे।

##### (2) अतारांकित:

- (i) स्थगित  
(ii) दिन के लिए
- } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे।

#### 2. कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे:

(1) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

- (i) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-168 के अन्तर्गत अधिसूचना 61/2017-राज्य कर संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(10)-20/2016-वॉल-I दिनांक 15.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.11.2017 व 10.08.2018 को प्रकाशित;

- (ii) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-168 के अन्तर्गत अधिसूचना 62/2017-राज्य कर संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(10)-20/2016-वॉल-I दिनांक 15.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.11.2017 व 10.08.2018 को प्रकाशित;
- (iii) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-168 के अन्तर्गत अधिसूचना 63/2017-राज्य कर संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(10)-20/2016-वॉल-I दिनांक 15.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.11.2017 व 10.08.2018 को प्रकाशित;
- (iv) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-128 के अन्तर्गत अधिसूचना 64/2017-राज्य कर संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(10)-20/2016-वॉल-I दिनांक 15.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.11.2017 व 10.08.2018 को प्रकाशित;
- (v) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-23 के अन्तर्गत अधिसूचना 65/2017-राज्य कर संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(10)-20/2016-वॉल-I दिनांक 15.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.11.2017 व 10.08.2018 को प्रकाशित;
- (vi) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-148 के अन्तर्गत अधिसूचना 66/2017-राज्य कर संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(10)-20/2016-वॉल-I दिनांक 15.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.11.2017 व 10.08.2018 को प्रकाशित;
- (vii) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-164 के अन्तर्गत अधिसूचना 70/2017-राज्य कर संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(10)-43/2017 दिनांक 27.12.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 29.12.2017 को प्रकाशित; और

(viii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं(समयपूर्व सेवानिवृत्ति) नियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्या: पर(एपी-बी)-ए(3)-3/2019 दिनांक 19.01.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 31.01.2022 को प्रकाशित ।

(2) डॉ० रामलाल मारकण्डा, तकनीकी शिक्षा मन्त्री, जे०पी० सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 14) के अन्तर्गत जे०पी० विश्वविद्यालय, वाकनाघाट, जिला सोलन का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

### 3. अनुपूरक बजट (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) वित्तीय वर्ष 2021-2022-प्रस्तुतीकरण:-

- (i) सामान्य चर्चा ।
- (ii) वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) पर चर्चा, मतदान एवं उनका पारण ।

### 4. विधायी कार्य :

#### (I) सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 1) के लिए कतिपय और धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।

## (II) सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 1) राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय और धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

### 5. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा:

दिनांक 23 फरवरी, 2022 को डॉ० राजीव बिन्दल सदस्य द्वारा प्रस्तुत तथा श्री बलवीर सिंह, सदस्य द्वारा अनुसमर्थित निम्न प्रस्ताव पर आगे चर्चा:-

“इस सदन में एकत्रित सदस्य, राज्यपाल महोदय का, दिनांक 23 फरवरी, 2022 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए, हृदय से आभार प्रकट करते हैं।”

शिमला-171004  
दिनांक: 25 फरवरी, 2022

यशपाल शर्मा,  
सचिव।

\*\*\*

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(चौदहवां सत्र)

शनिवार, 26 फरवरी, 2022/ 7 फाल्गुन, 1943 (शक्) के लिए निर्धारित

"शुद्धिपत्र"

---

मद संख्या

शुद्धियां

---

अतारांकित प्रश्न

1881

"(a) भाग की चौथी पंक्ति में as को **has**, पांचवी पंक्ति में were को **where** पढ़ा जाए तथा AHCs के बाद **were** शब्द जोड़ा जाए ।

शिमला-171004

दिनांक: 25.02.2022

यशपाल शर्मा,

सचिव ।

\*\*\*\*\*